

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34842/2017

दिनांक: 27.03.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक शिक्षा,

विषय:- दिनांक 01.01.2006 से संशोधित ए.सी.पी. स्वीकृत किये जाने हेतु
मार्गदर्शन प्रदान करने बाबत ।

प्रसंग :- राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ का पत्रांक रा.प्रा.एवं मा.
शि/बीका/प्रदेश/2017-18 दिनांक 26.03.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक- एफ.11 (7) एफ.डी. (रूल्स)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश दिनांक 06.10.2008 पुनरीक्षित वेतनमान के नियम-19 के तहत इस कार्यालय द्वारा राजस्थान अधीनस्थ सेवा के कार्मिको को उनकी नियमित सेवा संतोषप्रद के आधार पर 9, 18, 27 वर्षीय एसीपी के आदेश जारी किये जाते रहे है ।

जिन कार्मिको की नियमित सेवा अवधि 9, 18, 27 वर्ष दिनांक 01.09.2006 से पूर्व पूर्ण हो चुकी थी उन्हें यह लाभ दिनांक 01.09.2006 से दिया गया था । अब राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.9 (3) एफ.डी. (रूल्स)/2010 दिनांक 06.04.2013 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान-2008 संशोधन 2013 के तहत उक्त लाभ 01.09.2006 के स्थान पर 01.01.2006 प्रभावी कर दिया है ।

अतः जिन कार्मिको की 9, 18, 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 01.01.2006 को पूर्ण हो चुकी थी एवं ए.सी.पी. का लाभ 01.09.2006 से दिया गया था । इस प्रकार के समस्त आदेशों में उल्लेखित ए.सी.पी. के लाभ देयता दिनांक 01.09.2006 के स्थान पर 01.01.2006 पढ़ा जावे । शेष प्रकरणों के लिये नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में संशोधित एसीपी के प्रस्ताव भिजवाने पर ही जांच उपरान्त एसीपी के आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किये जा सकेंगे ।

राज्य सेवा के कार्मिको के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक-शिविरा/माध्य/
संस्था/सी-8/एसीपी/2013 दिनांक 01.10.2013 जारी किया जा चुका है । (प्रति संलग्न है ।)

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि :- 1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा ।

2. श्री महेन्द्र पाण्डे, महामन्त्री, राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ, बीकानेर
3. विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु!

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


कार्यालय-आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:-F.11(97)FD(RULES)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश दिनांक 06.10.2008 के तहत पुनरीक्षित वैतनमान 2000 के नियम-19 के तहत इस कार्यालय द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा के कार्मिकों (ब्याख्याता-स्कूल शिक्षा) को उनकी नियमित सेवा संतोषप्रद के आधार पर 10,20 एवं 30 वर्षीय ए०सी०पी० के आदेश जारी किये जाते रहे हैं ।

जिन कार्मिकों की नियमित सेवा अवधि 10, 20 एवं 30 वर्ष दिनांक:- 01.09.2008 से पूर्ण पूर्ण हो चुकी थी उन्हें यह लाभ दिनांक 01.09.2008 से दिया गया था । अब राज्य सरकार ने आदेश क्रमांक:- F.9(3)FD(RULES)/2010 दिनांक 06.04.2010 द्वारा पुनरीक्षित वैतनमान 2000 संशोधन 2013 के तहत उक्त लाभ दिनांक:-01.09.08 के स्थान पर दिनांक 01.09.08 प्रमाणी कर दिया है ।

अतः जिन कार्मिकों की 10, 20 एवं 30 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक:- 01.09.08 को पूर्ण हो चुकी थी एवं ए०सी०पी० का लाभ दिनांक 01.09.08 से दिया गया था, इस प्रकार के समस्त आदेशों में उल्लेखित ए०सी०पी० के लाभ देयता दिनांक:- 01.09.08 के स्थान पर दिनांक:- 01.09.08 पठनी जावे ।

शेष प्रकरणों के लिए नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में संशोधित एसीपी के प्रस्ताव भिजवाने पर ही जॉब चमरान्त संशोधित ए०सी०पी० के आदेश सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किये जा सकेंगे ।




निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर
दिनांक:- 21/10/13

क्रमांक:- शिदिशा-मा/संस्था/सी-8/ एसीपी/2013

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवेदन कार्यवाही हेतु:-

01. उपशासना सचिव-1, शिक्षा(ग्राम-2) विभाग शासन सचिवालय जयपुर
02. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक-1 व 11
04. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय राजा को विभागीय साईट पर प्रकाशनार्थ
05. अनुमान अधिकारी, पेंशन एवं पेंशनिकरण अनुभाग, कार्यालय राजा
06. समस्त प्रमोद, संस्था-सी
07. गार्ड एवं सहायक पत्रावली


सहायक निदेशक (कार्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर